

जिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
बनाम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

शोभाराम बनाम सं. लहरी बगैरा

क्र. 88/18

दिनांक 14-08-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त.अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14-08-2018 निरस्त की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

21
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौडा)